कार्यालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, कासगंज।

नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के स्वीकृति आदेश के अनुक्रम में 6 कक्षीय न्यायालय भवन स्थित दुर्गा कालोनी, कासगंज के आवासीय परिसर की चहारदीवारी के समीप लगे यूकेलिप्टस के 28 नग अयोग्य पेड़ों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज के पत्रांक 633/22–1 दिनांक 18.09.2026 द्वारा चिन्हित किये गये कुल 28 नग पेड़ों की नीलामी के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति अपनी बोली की धनराशि अंकों एवं शब्दों में लिखकर मोहरबंद लिफाफे में, जिस पर "06 कक्षीय न्यायालय भवन, दुर्गा कालोनी, कासगंज के 28 नग यूकेलिप्टस वृक्षों की नीलामी हेतु बोली" अंकित हो, दिनांक 31–10–2026 को समय 02:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज में जमा करेंगे। उक्त 28 नग वृक्षों की कुल मूल्यांकन धनराशि 1,92,429/– (रुपये एक लाख बानवे हजार चार सौ उन्तीस मात्र) है। नीलामी से सम्बन्धित विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज से जानकारी ली जा सकती है।

उपरोक्त 28 पेड़ों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें निम्नवत हैं।

1. नीलामी मोहरबंद लिफाफों में बोली आमंत्रित कर की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति अपनी बोली की धनराशि अंकों एवं शब्दों में लिखकर मोहरबंद लिफाफे में, जिस पर "06 कक्षीय न्यायालय भवन, दुर्गा कालोनी, कासगंज के 28 नग यूकेलिप्टस वृक्षों की नीलामी हेतु बोली" अंकित हो, दिनांक 31–10–2026 को समय 02:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज में जमा करेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त लिफाफे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. प्राप्त मोहरबंद लिफाफे दिनांक 31–10–2026 को समय 04:30 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के नजारत अनुभाग में नीलामी समिति के समक्ष बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले जायेंगे।
3. सभी अनुज्ञापियों को बोली प्रस्तुत करने से पूर्व केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज में जमानत धनराशि 2,000/– रुपये जमा करनी होगी, यदि उसके नाम नीलामी नहीं होती है तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
4. वृक्षों की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल नीलामी प्राप्तकर्ता को अनुमति पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर समस्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही वृक्षों का कटान एवं निकासी की जा सकती है। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. वृक्षों की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय कासगंज में तथा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, कासगंज द्वारा नियमानुसार निर्धारित अन्य शुल्क राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्षों को काटने की अनुमति प्राप्त होगी।
6. सभी वृक्षों की कटाई नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा की जायेगी। वृक्षों की कटाई, निकास आदि का समस्त व्यय नीलामी प्राप्तकर्ता का होगा।
7. सफल नीलामी प्राप्तकर्ता को काटे जाने वाले प्रत्येक एक वृक्ष के बदले 20 वृक्ष, अर्थात कुल 28 वृक्षों के बदले 560 वृक्ष, अपने व्यय पर जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर लगाने होंगे।
8. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी प्राप्तकर्ता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
9. नीलामी प्राप्तकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अंतिम निकास की तिथि तक सरकारी सम्पत्ति, चहारदीवारी एवं समीपवर्ती आवासों को नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। नुकसान होने पर समस्त उत्तरदायित्व नीलामी प्राप्तकर्ता का होगा।

10.मोहरबंद लिफाफे में सर्वाधिक बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी तथा नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज को होगा।

11.माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज द्वारा बिना कोई कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

12.नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बोली के लिफाफे के साथ अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे खोले जाने के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।

13.नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज का होगा।

14.उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की नीलामी का विक्रय रद्द समझा जायेगा।

रत्नेश कुमार श्रीवास्तव,
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01– जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No. 562/19–2–2007–1007 (T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।

02– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लखनऊ उ0प्र0 को G.O. No. 562/19–2–2007–1007 (T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने हेतु।

03– 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

04– कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

05– नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

रत्नेश कुमार श्रीवास्तव,
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, कासगंज।